(108)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर, मध्यप्रदेश

II/निग०/सीधी/2018/02350

विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित

राजस्व निगरानी कमांक ———/2017–18

1– मुस0 धोखिया लोहार पुत्री स्व0 काशी लोहार

2– मुस0 मुन्नी लोहार पुत्री स्व0 काशी लोहार

दोनो निवासी ग्राम कोटहा तहसील गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0 ——

———अपीलार्थीगण/निगरानीकर्तागण

अधि0 श्री राजेन्द्र तिवारी द्वारा पेश 11-4-18

बनाम,

1– मनोज तनय औसेरी लोहार

2– मुस0 शोभनथुआ लोहार वेवा काशी लोहार

3– श्रीमती लीला लोहार पुत्री काशी लोहार

सभी निवासी ग्राम कोटहा तहसील गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0———

————उत्तरवादी/गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर कमिश्नर सीधी, संभाग रीवा म0प्र0 द्वारा प्रकरण क्रमांक– 960/अपील/ 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 4.12.2017,

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संजिता 1959

मान्यवर,

निगरानीकर्तागणों की ओर से निम्नांकित निगरानी प्रस्तुत है :—

1— यहकि विद्धान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की जा रही इस निगरानी के निराकरण हेतु प्रश्नगत आदेश के प्रासंगिक तथ्यों के साथ प्रश्नगत आदेश को उद्भूत करने वाले विद्धान न्यायालय अधीक्षक परिवर्तित भूमि सीधी द्वारा निराकृत राजस्व प्रकरण कमांक– 96/अ–6/05–06 और इस प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 8.2.06 से उद्भूत प्रथम अपील के तथ्यों का संक्षिप्त विवरण इस निगरानी की विषयवस्तु के रूप में वर्णित किया जाना अपेक्षित है जो इस तरह है कि :—

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

क्रमांक ![निग.]/मु.नि./2018/2350 जिला– सीधी

धोखिया विश्वकर्मा विरूद्ध मनोज विश्वकर्मा

(1)	(2)	(3)
18-12-18-	1. आवेदक की ओर से श्री राकेश तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमिश्नर/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 260/अपील/16-17 में पारित आदेश दिनांक 04-12-2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 11-4-18 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य	